भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4223
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 / 11 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

कारागार संबंधी आँकडों के एकत्रण के संकेतकों में सुधार

4223. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारागार संबंधी आँकडों के एकत्रण को केवल समेकित संख्याओं तक सीमित रखने के बजाय उसमें कारावास की अवधि, जमानत की स्थिति, विधिक सहायता तक पहुंच तथा जेल में रहने की दशाओं जैसे संकेतकों को शामिल करने के लिए उसे विस्तारित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई) रुपरेखा में किसी प्रकार के सुधार की योजना है; और

(ग) कारागार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए ऐसे सुधारों को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): यद्यपि 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' आंकड़ो के वार्षिक सार-संग्रह की भूमिका निभा रहा है, तथापि विगत वर्षों में, भारत सरकार अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अंतर्गत इसके विभिन्न स्तंभों यथा - पुलिस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स), ई-फॉरेंसिक्स, ई-कोर्ट्स, ई-प्रोसिक्यूशन और ई-प्रिज़न्स के माध्यम से पारंपरिक समेकित डेटा प्रणाली से वास्तविक समय (रियल टाइम), सूक्ष्म डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। कारावास की अवधि, ज़मानत की स्थिति आदि जैसे कार्यात्मक संकेतकों का आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों के माध्यम से सक्रिय रूप से संकलन और अनुश्रवण किया जा रहा है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4223 दिनांक 01.04.2026

इन मापदंडों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल रिकॉर्ड रखने के लिए ही एकत्र न किया जाए बल्कि इसका उपयोग सक्रिय केस प्रबंधन और जेल प्रशासन में प्रणालीगत पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए भी किया जाए।

तदनुसार, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्टिंग प्रारूप का परिशोधन वार्षिक सांख्यिकीय प्रकाशनों को आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध परिष्कृत कार्य संचालन डेटा के साथ संरेखित करने की एक नियमित सुसंगातिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है।

*****